# न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
# जिला सवाई माधोपुर
## पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
| --- | --- | --- |
| 01/2024 | 09.01.2024 | 27.05.2025 |

1. हीरालाल पुत्र हटीला, गुर्जर निवासी कडी पट्टी तहसील तलावडा
2. मुथरी पत्नी हीरालाल, गुर्जर निवासी कडी पट्टी तहसील तलावडा

—प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील तलावडा —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :—श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

## निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम कडी पट्टी तहसील तलावडा मे भूमि ख0न0 323 रकबा 0.93 है0, ख0न0 249 रकबा 0.32 है0, ख0न0 250 रकबा 0.35 है0, ख0न0 321 रकबा 0.65 है0, ख0न0 322 रकबा 0.68 है0, ख0न0 324 रकबा 0.31 है0, ख0न0 62 रकबा 0.22 है0, ख0न0 64 रकबा 0.11 है0, ख0न0 65 रकबा 0.06 है0, ख0न0 66 रकबा 0.24 है0, ख0न0 67 रकबा 0.28 है0 स्थित है। इस भूमि की खातेदारी प्रार्थीगण हीरालाल पुत्र हटीला, मुथरी पत्नी हीरालाल व कन्हैया लाल पुत्र हटीला, कान्हा पुत्र किशनलाल, धप्पो पत्नी स्व0 किशनलाल, पार्वती पुत्री किशनलाल, मोतीलाल पुत्र हटीला, रामहेत पुत्र किशनलाल के नाम दर्ज है। इनमे रामहेत का इंतकाल हो चुका है जो लाऔलाद फौत हुआ है। उसका हिस्सा किशनलाल के वारिसान मे मर्ज रहा है। प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। पक्षकारों ने अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन कर रखा है। उक्त भूमि के हिस्से कब्जे मुताबिक प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के मध्य [illegible] डीमार्केटेडे, पत्थरगढी, सीमाज्ञान नही होने के कारण आये दिन [illegible] है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित आराजी की सीमाज्ञान, पत्थरगढी व बाउन्ड्री डीमार्केशन की जाकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी सीमाज्ञान किया जाकर मुस्तकिल बिन्दु कायम किये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:02:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुआ।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 115, 216, 506 प्रस्तुत किंए हैं।

उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)

हीरालाल वगैरा बनाम लैण्ड होल्डर, प्रा0पत्र 128 एल0आर0एक्ट

( 2 )

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 115, 16 की भूमि ग्राम कडीगांवडी मे स्थित है एवं खाता संख्या 506 की भूमि ग्राम तलावडा मे स्थित है। प्रार्थीगण ने इन जमाबंदियो मे दर्ज सभी खातेदारों को अपने प्रार्थना पत्र मे ना तो प्रार्थीगण बनाया है और ना ही अप्रार्थीगण के रूप मे इनका नाम अंकित किया है। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने के कारण मात्र दो सहखातेदारों द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र के आधार पर भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का आदेश नियमानुसार नही दिया जा सकता है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( बृजेन्द्र मीना )
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:02:07 IST
Reason: SelfAttested